

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ॥

(Nayapura, Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@Rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक. / 2020 / 1461

दिनांक: 14/02/2020

निमित्त:-

श्रीमान जिला कलक्टर,
कोटा।

विषय:-Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत निर्माणाधीन नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु राजस्व भूमि आरक्षित करने बाबत।

संदर्भ:-अधिकाधी अभियंता, जल संसाधन खण्ड कोटा के पत्र पृष्ठांकित क्रमांक अ.अ/जसख/कोटा/ईआरसीपी/2019-20/3581-86 दिनांक 27.11.2019

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रांक के क्रम में निवेदन है कि, उक्त आलोच्य प्रस्ताव के अन्तर्गत नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में 580.938 हे. वनभूमि (कोटा जिले की) आ रही है। जिस हेतु राजस्व वैकल्पिक भूमि आरक्षित कर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को 983 हे० के हस्तानान्तरण किया जाना प्रस्तावित किया जाने के प्रस्ताव इस कार्यालय की सहमति हेतु अग्रप्रेषित किये गये। तदुपरांत क्षेत्रीय वन अधिकारी, मण्डाना ने दिनांक 16.12.2019 को राजस्व वैकल्पिक भूमि कुल 983 हे० ग्रामवार की गई है के अनुसार ग्राम गोपालपुरा, सिंहपुरा, भीलोत, पदमपुरा व कोथला की खाता सं० 1 की प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण सर्वेयर कार्यालय हाजा एवं प्रयोक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि के साथ किया गया।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, मण्डाना ने उनके पत्रांक 1208 दिनांक 26.12.2019 के तहत दिनांक 16.12.2019 को मौका पंचनामा/खसरा नक्शा अनुपालना के रूप में इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुरूप ग्राम गोपालपुरा, सिंहपुरा व भीलोत की कुल 222.54 हे० भूमि वन विभाग के लिए वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र०स०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हे०)	भूमि का प्रकार	विवरण
1	लाडपुरा	गोपालपुरा	01	443	5.94	गै०मु०पटार बजड गै०मु०खाडी	भूमि वृक्षारोपण योग्य है। जिसमें आंशिक भाग पर लूज स्टोन की कच्ची बरसाती दीवार बाडबंदी कर स्थानीय काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। यदि प्रशासन/यूजर एजेंसी अतिक्रमण हटा उक्त भूमि वन विभाग को दी जाती है तो वृक्षारोपण किया जा सकता है।
				450	4.00		
				452	14.30		
				460	3.00		
				514	38.98		
				517	13.24		
				518	1.20		
				519	4.05		
				522	28.52		
	कुल				113.23		
2	लाडपुरा	सिंहपुरा	01	350	18.50	गै०मु०पटार	भूमि वृक्षारोपण योग्य है।
				351	35.00		
				355	35.79		
				356	5.93		
	कुल				95.22		

क्र०स०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (हे०)	भूमि का प्रकार	विवरण
3	लाडपुरा	भीलोत	01	159	4.00	बजंड	भूमि वृक्षारोपण योग्य है।
				162	10.09		
	कुल				14.09		

इसी प्रकार से क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास ने उनके पत्रांक 34 दिनांक 30.01.2020 के तहत दिनांक 23.01.2020 को मौका पंचनामा/खसरा नक्शा अनुपालना के रूप में इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुरूप ग्राम गुरायता, विजयपुर, बोरीनाखुर्द, बरा की कुल 366.44 हे० भूमि वन विभाग के लिए वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र०स०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं.	रकबा (हे०)	भूमि का प्रकार	वि०विवरण
1	सांगोद	गुरायता	01	8	6.05	गैर मु. खाल खददर	जिसमें से ख० नं० 33, 84, 134, 210, 264, 473, 326, 357 में आंशिक अतिक्रमण है।
				17	14.96		
				33	2.48		
				47	6.46		
				52	0.810		
				53	1.46		
				84	1.62		
				103	0.49		
				104	0.48		
				105	0.65		
				108	0.81		
				112	0.82		
				113	1.30		
				117	1.40		
				130	4.44		
				131	1.17		
				132	1.13		
				133	1.88		
				134	3.16		
				171	1.60		
				175	2.07		
				176	1.80		
				177	1.27		
				187	0.73		
				190	3.97		
				191	1.02		
				210	0.77		
				211	2.21		
				212	2.46		
				213	0.15		

क्र०स०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं.	रकबा (हे०)	भूमि का प्रकार	वि०विवरण
				214	1.39		
				215	0.80		
				264	4.29		
				323	1.450		
				322	0.25		
				324	0.44		
				325	1.43		
				326	4.72		
				327	1.65		
				328	1.14		
				359	0.85		
				360	1.80		
				361	0.93		
				357	5.87		
				365	1.85		
				366	1.33		
				475	5.25		
				473	1.10		
				314	4.91		
					111.07		
2	कुल	विजयपुर	01	37	13.480	गैर मु. खाल खद्वर	जिसमें से ख० न० 37, 344, 339, 280 में आंशिक अतिक्रमण है। यूजर एजेंसी उक्त खसरों से अतिक्रमण हटा कर सुपुर्द करने पर C.A. योग्य।
				336	9.96		
				337	8.69		
				341	9.65		
				343	9.71		
				344	3.24		
				339	29.70		
				280	7.03		
					91.46		
3		होरीनाखुर्द	01	3/1	38.50	गैर मु. खाल खद्वर	जिसमें से ख.न.3/1, 220, 390 आंशिक अतिक्रमण है।
				220	10.70		
				390	42.59		
					91.79		
4		बरा	01	10	1.75	गैर मु. खाल खद्वर	जिसमें से ख०न० 15, 16, 9, 7, 322 में आंशिक अतिक्रमण/बाडबंदी है। यूजर एजेंसी उक्त खसरों से अतिक्रमण हटा कर सुपुर्द करने पर C.A. योग्य।
				11	4.70		
				12	0.77		
				13	6.73		
				15	7.26		
				16	6.23		
				9	6.41		
				6	2.17		

क्र०स०	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खसरा सं.	रकबा (हे०)	भूमि का प्रकार	वि०विवरण
				5	5.25		
				7	6.23		
				283	2.25		
				284	0.50		
				295	0.67		
				296	8.50		
				462	3.06		
				297/524	0.40		
				322	9.24		
	कुल				72.12		

मौक की स्थिति अनुसार उक्त भूमि में कुछ आंशिक भाग पर ग्राम वासियान द्वारा कच्ची बाडबंदी अस्थाई रूप से मौके पर कर रखी है। यदि उक्तानुसार प्रस्तावित राजस्व वैकल्पिक भूमि ग्रामवार से कच्ची बाडबंदी/अतिक्रमण को मौके से यूजर एजेंसी स्वयं अतिक्रमण हटाकर वन विभाग को भूमि मौके पर (अतिक्रमण मुक्त) कर सम्भलाई जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। जिसके लिये कार्यालय सहमत है।

संलग्न-मौका पंचनामा-2

भवदीय

Day
उप वन संरक्षक
कोटा

दिनांक:

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा।
3. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त कोटा।
4. अधिशासी अभियंता, जल संसाधन खण्ड कोटा।
5. तहसीलदार, लाडपुरा/सांगोद/कनवास।
6. सहायक वन संरक्षक, कोटा।
7. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मण्डाना/कनवास।

उप वन संरक्षक
कोटा